

(2008) 2 एससीआर 686

मैसर्स इंटेल डिजाइन सिस्टम्स (इंडिया) पी. लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

(2002 की सिविल अपील संख्या 4564)

11 फरवरी, 2008

(डाॅ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंटा, जे.जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985

उप- शीर्षक 8536.90 - ठेकेदार, स्विच और नियंत्रण बाॅक्स - का वर्गीकरण -
धारित - विचाराधीन सामान स्विचिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा या इलेक्ट्रिक
सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए अनुभाग के नोट 2 (
एफ) धारा XVII के आधार पर उप - शीर्ष 8536.90 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता
है। सी बी ई सी परिपत्र संख्या 17/90 – सी ई एक्स IV दिनांक 09.07.1990 जिस पर
निर्धारिती ने भरोसा किया, वह प्रासंगिक नहीं है -

व्याख्यात्मक नियम - नियम 1। निर्धारिती - अपीलकर्ता ठेकेदारों, स्विचों और नियंत्रण
बाॅक्स जैसे सामानों के निर्माण में लगा हुआ था। सामानों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1985 के चैपर हेडिंग 8710 के तहत इस आधार पर वर्गीकृत करने की मांग की कि इन सामानों का निर्माण पूरी तरह से और मुख्य रूप से रक्षा विभाग के टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में फिट करने के लिए किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने परिपत्र संख्या 17190 सी ई XIV दिनांक 09.07.1990 पर भरोसा किया।

निर्णायक प्राधिकारी ने धारा XVII के नोट 2(एफ) पर भरोसा किया और माना कि विचाराधीन सामान अध्याय उपशीर्षक 8536.90 के अंतर्गत आने वाले निर्णायक विद्युत उपकरणों के हिस्से हैं और सीबीईसी परिपत्र प्रासंगिक नहीं था। तदनुसार निर्णायक प्राधिकारी ने माल को अध्याय उप-शीर्ष 8536.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की। सीईजीएटी ने निर्धारिती की अपील खारिज कर दी, इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. व्याख्यात्मक नियमों पर नियम 1 के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का वर्गीकरण शीर्षक की शर्तों और अनुभाग/अध्याय नोट्स के अनुसार निर्धारित किया जाना है। नोट 2(एफ) से धारा XVII, जो अध्याय 87 को नियंत्रित करता है, में विद्युतीय मशीनरी और उपकरण (अध्याय 85) सामान शामिल नहीं है। विचाराधीन सामान यानी ठेकेदार, स्विच, नियंत्रण बाँक्स आदि वे सामान हैं, जिनका उपयोग स्विचिंग, विद्युत सर्किट की सुरक्षा या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ये भाग/घटक विशेष रूप से सीएसएच के अंतर्गत आते हैं, 8536.90

निर्धारिती द्वारा जिस सीबीईसी परिपत्र पर भरोसा किया गया, वह प्रासंगिक नहीं है।
(पैरा 41 (690-सी,डी))

2. एचएसएन के व्याख्यात्मक नोट्स के अनुसार, अध्याय शीर्ष 8710 के अंतर्गत आने वाले भाग को उक्त अध्याय के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते वे दोनों शर्तों को पूरा करते हों, यानी उन्हें ऐसे वाहनों के लिए पूरी तरह से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपर्युक्त होने के रूप में पहचाना जाना चाहिए और उन्हें धारा XVII के नोट्स के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। उक्त शीर्षक के तहत पहचाने जाने योग्य हिस्से, बख्तरबंद वाहनों के शरीर और उनके हिस्से, बख्तरबंद कारों के लिए विशेष सड़क के पहिये, टैंक, टैक्ट आदि के लिए प्रणोदन पहिये शामिल हैं। इस आवश्यकता के अनुसार सामान को न केवल बख्तरबंद वाहनों के रूप में पहचाना जाना चाहिए, बल्कि इसे धारा XVII के नोट्स द्वारा भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए था। अध्याय नोट 2(एफ) में अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली विद्युत मशीनरी और उपकरण शामिल नहीं है।

नोट 2 द्वारा बाहर किए गए भागों और सहायक उपकरण से संबंधित एचएसएन के व्याख्यात्मक नोट्स (7) (ए) के अनुसार विशिष्ट अध्याय शीर्षक के संदर्भ में आइटम निर्दिष्ट करते हैं, जिसमें शीर्षक संख्या 85.35 या 85.36 के विद्युत कर्षण वाहनों, फ्यूज, स्विच और अन्य विद्युत उपकरणों के लिए तस्वीरें और अन्य वर्तमान संग्राहक शामिल नहीं हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं पहचान योग्य है

या अध्याय शीर्ष 85.36 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की प्रकृति में है। चूंकि ये बहिष्कृत की श्रेणी में आते हैं। अध्याय नोट्स के तहत सामान, भले ही वे विशेष रूप से या मुख्य रूप से अध्याय शीर्षक 8710 के बख्तरबंद वाहनों के साथ उपयोग किए जाते हैं, वे केवल निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा आयोजित अध्याय शीर्षक 8536.90 के तहत वर्गीकृत किए जाते हैं। (पैरा 51 (690-ईएच; 691-ए,बी))

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील संख्या 4564

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई पश्चिम क्षेत्रीय पीठ अपील संख्या E/829/2000-Mum द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश संख्या सी-1/1270/डब्ल्यूजेडबी/02 दिनांक 10.05.2022 से।

अपीलकर्ता की ओर से केजे जॉन एंड कंपनी की ओर से रमेश सिंह, प्रताप वेणुगोपाल, झूमा बोस, हर्षद वी. हमीद और दिलीप पी.।

प्रतिवादी की ओर से पी. विश्वनाथ शेटी नरसिम्हा, एसजे अरस्तू और बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

डा॰ अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में चुनौती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, फोर्ट, मुंबई (संक्षेप में 'सीईजीएटी') द्वारा पारित आदेश को

है, जिसमें आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), पुणे (संक्षेप में 'आयुक्त (अपील)) द्वारा पारित अपील दिनांक 27.10.1999 में।

पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण में लगे अपीलकर्ता ने, अन्य बातों के अलावा, 20.12.1996 से प्रभावी वर्गीकरण घोषणा के क्रम संख्या 1 (ए) से (यू) में उल्लिखित अपने उत्पादों की वर्गीकरण सूची दायर की, जिसमें अध्याय शीर्षक 8710 के तहत वर्गीकरण का दावा किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'टैरिफ अधिनियम') की अनुसूची के अंतर्गत। वर्गीकरण सूची में सामान को टैरिफ अधिनियम के अध्याय उप-शीर्ष 8710.00 के तहत टैंक और अन्य बख्तरबंद और मोटर चालित लड़ाकू वाहनों के हिस्सों के रूप में वर्णित किया गया था।

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उक्त सामान भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के लिए निर्मित किया जाता है और टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में उपयोग किया जाता है। इन सामानों का निर्माण कड़ाई से ग्राहक यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा आपूर्ति की गई ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार किया जाता है। चूंकि सामान केवल और मुख्य रूप से रक्षा विभाग के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में टैंकों में फिट करने के लिए निर्मित किया जाता है, इसलिए सही वर्गीकरण अध्याय उप-शीर्ष 8710.00 के तहत होगा। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने परिपत्र संख्या 17/90 सीईएक्स IV दिनांक 9.7.1990 पर भी

भरोसा किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ट्रांसमिशन तत्व, स्विच, गियर, गियरिंग आदि अध्याय शीर्षक 84.83 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

टैरिफ की धारा XVII के वाहनों में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। समर्थन में उन्होंने अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मद्रास से प्राप्त CT2 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कहा गया था कि उक्त सामान अध्याय शीर्षक 8710 के तहत वर्गीकृत किया गया है। साक्ष्य के मद्देनजर, यह तर्क दिया गया कि अध्याय शीर्षक 8710 के तहत उनका वर्गीकरण क्रम में था। वहीं दूसरी ओर, निर्णायक प्राधिकारी ने धारा XVII के नोट 2(एफ) पर भरोसा किया, जिसमें अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले सामान यानी विद्युत मशीनरी और उपकरण शामिल नहीं हैं और चूंकि अपीलकर्ता ठेकेदार, स्विच, नियंत्रण बॉक्स इत्यादि जैसे सामान का निर्माण करते हैं और स्विचिंग/सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं

विद्युत सर्किट या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए, ये अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के अंतर्गत आने वाले विद्युत उपकरणों के हिस्से हैं और सीबीईसी परिपत्र, इसलिए प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा, व्याख्यात्मक नियम 3 (ए) पर भरोसा किया गया था जो यह प्रदान करता है कि विशिष्ट प्रविष्टि को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की। इस अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली विद्युत मशीनरी और उपकरण और

चूंकि अपीलकर्ता ठेकेदार, स्विच, नियंत्रण बॉक्स इत्यादि जैसे सामान का निर्माण करते हैं और विद्युत सर्किट को स्विच करने/सुरक्षा करने या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये विद्युत उपकरणों के हिस्से हैं

अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 और सीबीईसी परिपत्र के अंतर्गत आना प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा, व्याख्यात्मक नियम 3(ए) पर भरोसा किया गया था जो यह प्रदान करता है कि विशिष्ट प्रविष्टि को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की। इस अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली विद्युत मशीनरी और उपकरण और चूंकि अपीलकर्ता ठेकेदार, स्विच, नियंत्रण बॉक्स इत्यादि जैसे सामान का निर्माण करते हैं और विद्युत सर्किट को स्विच करने/सुरक्षा करने या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये विद्युत उपकरणों के हिस्से हैं, इसलिए अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 और सीबीईसी परिपत्र के अंतर्गत आना प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा, व्याख्यात्मक नियम 3(ए) पर भरोसा किया गया था जो यह प्रदान करता है कि विशिष्ट प्रविष्टि को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की और विद्युत सर्किट को स्विच करने/सुरक्षा करने या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये अध्याय उप -

शीर्ष 8536.90 के अंतर्गत आने वाले विद्युत उपकरणों के हिस्से हैं और सीबीईसी परिपत्र, इसलिए प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा, व्याख्यात्मक नियम 3(ए) पर भरोसा किया गया था जो यह प्रदान करता है कि विशिष्ट प्रविष्टि को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की और विद्युत सर्किट को स्विच करने/सुरक्षा करने या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये अध्याय उप - शीर्ष 8536.90 के अंतर्गत आने वाले विद्युत उपकरणों के हिस्से हैं और सी बी ई सी परिपत्र, इसलिए प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा, व्याख्यात्मक नियम 3(ए) पर भरोसा किया गया था जो यह प्रदान करता है कि विशिष्ट प्रविष्टि को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की।

व्याख्यात्मक नियम 3(ए) पर भरोसा रखा गया था जो यह प्रावधान करता है कि अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक की तुलना में विशिष्ट प्रविष्टि को प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की।

व्याख्यात्मक नियम 3(ए) पर भरोसा रखा गया था जो यह प्रावधान करता है कि अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक की तुलना में विशिष्ट प्रविष्टि को

प्राथमिकता दी जाएगी। तदनुसार, सहायक आयुक्त ने अध्याय उप - शीर्षक 8536.90 के तहत माल को वर्गीकृत किया और मांग की पुष्टि की।

सीईजीएटी ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत अवधि के लिए वर्गीकरण सूची पिछली अवधि के लिए 9.4.1997 को प्रस्तुत की गई थी। ऐसी वर्गीकरण सूचियों को मंजूरी दी गई। विभाग द्वारा शीर्षक 8536.90 के तहत शुल्क लगाने का प्रस्ताव करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

विभाग ने यह साबित नहीं किया कि लेख शीर्षक 8536.90 के अंतर्गत आते हैं। इसने सर्कुलर नंबर 17/90 -CX-4, दिनांक 9.7.1990 पर भी भरोसा किया है। नोट II का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि विभाग ने यह साबित नहीं किया है कि लेख अध्याय 85 के अंतर्गत आते हैं। प्रतिवादी के वकील ने आदेशों का समर्थन किया।

3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीईजीएटी ने माना है कि सामान अध्याय 8536.90 के तहत सामान के रूप में पहचाने जाने योग्य हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से माना है कि लेख अध्याय 85 के अंतर्गत आता है।

4. व्याख्यात्मक नियमों पर नियम 1 के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का वर्गीकरण शीर्षक की शर्तों और अनुभाग/अध्याय नोट्स के अनुसार निर्धारित किया

जाना है। नोट 2(एफ) से धारा XVII (जो अध्याय 87 को नियंत्रित करता है) में सामान शामिल नहीं है। विद्युत मशीनरी और उपकरण (अध्याय 85)।

विचाराधीन सामान यानी ठेकेदार, स्विच, नियंत्रण बॉक्स आदि वे सामान हैं जिनका उपयोग स्विचिंग, विद्युत सर्किट की सुरक्षा या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ये भाग/घटक विशेष रूप से सीएसएच 8536.90 के अंतर्गत आते हैं। निर्धारिती द्वारा जिस सीबीईसी परिपत्र पर भरोसा किया गया वह प्रासंगिक नहीं है।

5. एचएसएन के व्याख्यात्मक नोट्स के अनुसार अध्याय शीर्षक 8710 के अंतर्गत आने वाले हिस्सों को उक्त अध्याय के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते वे दोनों शर्तों को पूरा करते हों यानी उन्हें ऐसे वाहनों के लिए पूरी तरह से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त होने के रूप में पहचाना जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना चाहिए। धारा XVII के नोट्स के प्रावधानों से बाहर नहीं रखा जाएगा। उक्त शीर्षक के तहत बख्तरबंद वाहनों और उसके हिस्सों के पहचाने जाने योग्य हिस्सों में बख्तरबंद कारों के लिए विशेष सड़क पहिये, टैंकों, ट्रैक्टरों आदि के लिए प्रणोदन पहिये शामिल हैं।

इस आवश्यकता के अनुसार, सामान को न केवल बख्तरबंद वाहनों के रूप में पहचाना जाना चाहिए, बल्कि यह भी होना चाहिए। धारा XVII के नोट्स द्वारा इसे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए था। अध्याय नोट 2(एफ) में अध्याय 85 के अंतर्गत आने

वाली विद्युत मशीनरी और उपकरण शामिल नहीं हैं। नोट 2 द्वारा छोड़े गए भागों और सहायक उपकरण से संबंधित एचएसएन के व्याख्यात्मक नोट्स (7) (ए), (के) के अनुसार विशिष्ट अध्याय शीर्षक के संदर्भ में आइटम निर्दिष्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रांक्शन वाहनों, फ्यूज, स्विच और के लिए तस्वीरें और अन्य वर्तमान कलेक्टर शामिल नहीं हैं। शीर्षक संख्या 85.35 या 85.36 के अन्य विद्युत उपकरण, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं पहचान योग्य हैं या अध्याय शीर्ष 85.36 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की प्रकृति में हैं। चूँकि ये अध्याय नोट्स के तहत बहिष्कृत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं , भले ही इनका उपयोग विशेष रूप से या मुख्य रूप से अध्याय शीर्षक 8710 के बख्तरबंद वाहनों के साथ किया जाता है, इन्हें केवल अध्याय शीर्षक 8536.90 के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा माना जाता है।

(के) जिसमें शीर्षक संख्या 85.35 या 85.36 के विद्युत कर्षण वाहनों, फ्यूज, स्विच और अन्य विद्युत उपकरणों के लिए तस्वीरें और अन्य वर्तमान संग्राहक शामिल नहीं हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं पहचान योग्य हैं या अध्याय शीर्ष 85.36 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की प्रकृति में हैं। चूँकि ये अध्याय नोट्स के तहत बहिष्कृत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, भले ही इनका उपयोग विशेष रूप से या मुख्य रूप से अध्याय शीर्षक 8710 के बख्तरबंद वाहनों के साथ किया जाता है, इन्हें केवल

अध्याय शीर्षक 8536.90 के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसा कि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा माना जाता है।

(के) जिसमें शीर्षक संख्या 85.35 या 85.36 के विद्युत कर्षण वाहनों, फ्यूज, स्विच और अन्य विद्युत उपकरणों के लिए तस्वीरें और अन्य वर्तमान संग्राहक शामिल नहीं हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं पहचान योग्य हैं या अध्याय शीर्षक 85.36 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की प्रकृति में हैं। चूँकि ये अध्याय नोट्स के तहत बहिष्कृत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, भले ही इनका उपयोग विशेष रूप से या मुख्य रूप से अध्याय शीर्षक 8710 के बख्तरबंद वाहनों के साथ किया जाता है, इन्हें केवल अध्याय शीर्षक 8536.90 के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसा कि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा माना जाता है।

6. इसलिए अपील बिना योग्यता के होने से खारिज योग्य है। अतः खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वीनस चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।